राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1854/2022

गौरव सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, यू.डी.एच. (ग्रुप–3), शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2022
आदेश की दिनांक : 03.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से : श्री सोमेश चंद शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 01.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध सहायक अभिंयता सिविल के पद के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे। यह भी निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्मिक मानते हुए उसे एईएन सिविल के पद पर रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2010 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई और परीक्षा आयोजित कर आदेश दिनांक 06.04.2011 के द्वारा चयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति दी गई, जिसमें अपीलार्थी को भी कनिष्ठ कनिष्ठ अभियंताओं के पद पर जयपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्ति प्रदान की गई। प्रारंभ में 167 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, परंतु विभाग द्वारा उच्च स्तर पर अनुमोदन पश्चात् 400 कनिष्ठ अभियंताओं को

नियुक्ति प्रदान की गई, जो आदेश दिनांक 16.07.2013 के द्वारा भर्ती किए गए, जिसमें 48 रिक्तियां जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए थीं एवं 148 पद सभी संस्थानों के लिए थे। अपीलार्थी को जयपुर विकास प्राधिकरण में आदेश दिनांक 06.04.2011 के द्वारा नियुक्त किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण में रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पाने का हकदार है। परंतु प्राधिकरण द्वारा कोई डीपीसी आयोजित नहीं की गई। प्राधिकरण में एईएन सिविल के कुल 55 पद हैं, जिसकी जानकारी यूडीएच विभाग द्वारा आदेश दिनांक 17.03.2017 के द्वारा दी गई। उनका कहना है कि 54 कार्मिक यूडीएच विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और एक कार्मिक जो डिप्लोमाधारी वर्ग से कार्य कर रहा है। आदेश दिनांक 01.04.2022 के द्वारा यूडीएच विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2008–09 से वर्ष 2021–22 के लिए 121 कार्मिक सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किए गए। परंतु अपीलार्थी का नाम पदोन्नति सूची में नहीं जोडा गया। पदोन्नत सूची में जे.डी.ए. संवर्ग का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि जेईएन एवं एईएन के पद जे.डी.ए. में अस्तित्व में हैं या नहीं और न ही विभाग द्वारा जे.डी. ए. के पद के विरूद्ध एईएन के पद पर पदोन्नति की गई। जे.डी.ए. भी एईएन अथवा एक्सईएन के पद पर पदोन्नति नहीं कर रहा है। जे.डी.ए. के संघ द्वारा विभाग को पद सृजित करने के संबंध में अभ्यावेदन दिया गया, जिसमें एईएन के पदों को 87 से 120 करने के लिए प्रार्थना की गई, जिसके संबंध में समिति का गठन किया गया। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी की जेईएन के पद पर भर्ती जे.डी.ए. के लिए हुई थी और पिछले 12 वर्षों से जे.डी.ए. में कार्य कर रहा है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जे.डी.ए. में उपलब्ध सहायक अभियंता के पदों को यूडीएच विभाग द्वारा पदोन्नति करते समय एईएन के संवर्ग में नहीं जोडा गया और न ही उक्त पदों पर जे.डी.ए. द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 01.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध सहायक अभिंयता सिविल के पद के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे। यह भी निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्मिक मानते हुए उसे एईएन सिविल के पद पर रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 को अपीलार्थी के अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिकरण द्वारा अनेक अवसर दिये जाने उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण का पदोन्नति सूची में कोई भूमिका नहीं है। कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति एवं पदोन्नति नगरीय विकास विभाग द्वारा की गई है और विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही भी उक्त विभाग द्वारा ही की गई है। इस प्रकार उक्त कार्यवाही में कोई नियम विरूद्धता नहीं है। यह तर्क सही है कि अपीलार्थी जे.डी.ए. में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है और जेईएन से एईएन की पदोन्नति सूची यूडीएच विभाग द्वारा ही तैयार की गई है, जिसमें जे.डी.ए. की कोई भूमिका नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि यूडीएच विभाग ने अपील का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, परंतु जे.डी.ए. ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा है कि समस्त भूमिका यूडीएच विभाग की है। अपीलार्थी जे.डी.ए. का कार्मिक है और उसे आदेश दिनांक 06.04.2011 के द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर की गई थी। प्रारंभ में यूडीएच विभाग द्वारा 167 रिक्तियां जारी की गई थी, परंतु बाद में रिक्तियों को बढ़ा दी गई। राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 155/2013 दिनांक 10.07.2013 के द्वारा वर्ष 2010 में चयनित किए गए अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ अभियंताओं के स्वीकृत 167 पदों से अधिक पदों पर नियुक्त किए गए कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाओं का नियमितिकरण एवं वांछित पदों की भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृति दिए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उनका यह भी कथन है कि उक्त समस्त सूचना अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की है, जिसमें यह भी कहा गया है कि यूडीएच विभाग केवल जे.डी.ए. अथवा यूटीएस आदि की रिक्रूटमेंट ऐजेंसी है और इस प्रकार अपीलार्थी की नियुक्ति जेईएन के पद पर जे.डी.ए. में हुई थी। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 06.04.2011 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर जयपुर विकास प्राधिकरण में हुई थी। अनुलग्नक–2 दिनांक 10.02.2010 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा कुल 167 कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके क्रम में आदेश दिनांक 06.04.2011 (अनुलग्नक–3) के द्वारा 69 कार्मिकों को उनके नामों के आगे चिन्हित संस्थानों में नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 54 पर अंकित है, जिसमें अपीलार्थी को जयपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्ति दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्मिक है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी अनुलग्नक–9 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सहायक अभियंता के पद 62 एवं कनिष्ठ अभियंता के पद 139 हैं। जहां तक वरिष्ठता सूची दिनांक 21.10.2021 (अनुलग्नक–6) जो नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किए जाने का प्रश्न है, उक्त वरिष्ठता सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 229 पर अंकित किया गया है। जबकि उक्त सूची में न तो प्राधिकरण का नाम अंकित किया गया और न ही अन्य संस्थानों के नाम अंकित किए गए हैं। उक्त सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौनसा व्यक्ति किस संस्थान का कार्मिक है। जबकि नियुक्ति आदेश में कार्मिक की नियुक्ति एवं आवंटित संस्थान का नाम अंकित किया गया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी की गई है जबकि नियुक्ति आदेशों में कार्मिकों को अलग–अलग संस्थानों में नियुक्ति दी गई है। नगरीय विकास विभाग द्वारा सभी संस्थानों की एक साथ सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी किए जाने से भिन्न–भिन्न संस्थानों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पडेगा। हमारे मत में नियुक्ति पत्र में उल्लेखित संस्थानों के आधार पर ही पृथक–पृथक संस्थान की पृथक–पृथक वरिष्ठता सूची जारी की जानी चाहिए और तद्नुसार ही संस्थान में नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति उपलब्ध पदों के आधार पर ही की जानी चाहिए, जिससे संस्थान में कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं की सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी किए जाने से जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 01.04.2022 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक में आवंटित संस्थानों के आधार पर कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी की जावे एवं तद्नुसार निर्धारित वरिष्ठतानुसार रिव्यू डीपीसी आयोजित कर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य